उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग,

संख्या- 6 /1595/92-2014-211आरई/2009,

लखनऊ: दिनांक: 07 अप्रैल,2014

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-बॉदा के कार्यकाल में जनपद बॉदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यो को समय से पूर्ण न कराये जाने तथा अन्य अनियमितताओं के कारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-772/62-3-10-211आरई/2009, दिनांक 12-3-2010 द्वारा श्री एम0के0 भार्गव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-बांदा को निलम्बित करते हुए उनके विरूद्व अनुशासनिक जांच संस्थित की गयी थी तथा प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-झॉसी को जांच अधिकारी नामित किया गया था। तत्पश्चात् शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2542/62-3-10-211आरई/2009, दिनांक 19-8-2010 द्वारा श्री भार्गव को इस शर्त के साथ सेवा में बहाल किया गया कि उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही यथावत् चलती रहेगी। जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या शासन को पत्र दिनांक 04-11-2011 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या, श्री एम0के0 भार्गव द्वारा दिये गये अपने बचाव उत्तर एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री भार्गव पर अधिरोपित आरोप सिद्व न पाये जाने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5309/92-2011-211आरई/2009, दिनांक 22-12-2011 द्वारा उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है।

2- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-5 में निलम्बन अवधि में वेतन और भत्ते आदि के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि "सरकारी सेवक के वेतन और भत्तों के बारे में विनिश्चय और उक्त अवधि को ड्यूटी पर बिताया गया माना जायेगा अथवा नहीं, पर विचार करते हुए उक्त सरकारी सेवक को नोटिस देकर फाइनेन्शियल हैण्ड बुक भाग-दो, भाग-दो से चार के नियम-54 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्पष्टीकरण मांगने के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।" उक्त नियम के अन्तर्गत श्री भार्गव को कारण बताओ नोटिस दिनांक 06 जुलाई, 2012 निर्गत की गयी थी, जिसके क्रम श्री भार्गव द्वारा शासन को प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 27-3-2014 (संलग्न पत्र दिनांक 01-12-2012) में इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वे अपने निलम्बन काल में किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार, व्यवसाय वृत्ति में नहीं रहे हैं तथा निलम्बन काल (दिनांक 12-3-2010 से दिनांक 19-8-2010 तक) के अवशेष वेतन/भत्ते आदि का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- चूँकि श्री एम0के0 भार्गव के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में उन्हें दोषमुक्त पाते हुए शासन के आदेश दिनांक 22-12-2011 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है, अत: प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त, श्री एम0के0 भार्गव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-बांदा सम्प्रति सेवानिवृत्त को उनके निलम्बन काल की अवधि (दिनांक 12-3-2010 से दिनांक 19-8-2010 अथवा सेवा में पुन: कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, जो भी बाद में हो) में उन्हें ड्यूटी पर मानते हुए उन्हें निलम्बन काल के जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अवशेष वेतन/भत्ते आदि के भुगतान की स्वीकृति, एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-6/1595(1)/92-2014-तददिनांक :</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5- श्री एम0के0 भार्गव, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-बांदा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

शिशिर कुमार यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in